

Telegraphic Address :
"SATARKTA: New Delhi

E-Mail Address
cenvigil@nic.in

Website
www.cvc.nic.in

EPABX
24600200

फैक्स / Fax : 24651186



केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION



सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-110023

सं./No.....

CVC/RTI/18/205/38327,
दिनांक / Dated.....

21/06/2018

To,

Shri Kanchan Kumar
Village – Ashok Nagar
Post – Noulakhi
Bhaya – Muraliganj
Dist – Purniya, Bihar
Pin – 852 122

Sub: Information under RTI Act, 2005.

Sir,

Please refer to your RTI application dated 29/05/2018 (received in the Commission on 31/05/2018) on the above subject.

2. Information sought by you is not covered u/s 2(f) of RTI Act, 2005. However, your complaint dated 16/06/2016 was received in the Commission. The complaint was examined as per Commission's complaint handling policy and forwarded to the Chief Vigilance Officer, Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL) for necessary action vide Commission's OM No.39546/2016/vigilance-6.

Yours faithfully,

(Kundan Singh)
Director/CPIO

Tel: 01124634202

E-mail:kundan.singh67@nic.in

Encl: As above.

Copy to:-

✓ **Power Grid Corporation of India Ltd.** [Sh. Ajay Holani, CPIO/AGM (CP)]
Corporate Centre, Saudamini, Plot No.2, Sector-29, Gurgaon-122 001. The RTI application dated 29/05/2018 is sent herewith. As information sought for by the applicant is held by the PGCIL, the same is being transferred to you for further action at your end u/s 6(3) of RTI Act, 2005.

25/6
24/6/18
EB
28/6
18/29/18

(Kundan Singh)
Director/CPIO

Tel: 01124634202

E-mail:kundan.singh67@nic.in

श्री मान् केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
नई दिल्ली

13914
21/5/16

विषय - R.T.I 2005 के अन्तर्गत आवेदन

महोदय,
निवेदन है कि मैं केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में 16-06-2016 को ही आवेदन दिया था। जिसमें कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा कार्यालय स्थापन सं० - 39546/2016 दिनांक 19-07-2016 को आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी, पावरग्रिड को प्रेषित किया गया लेकिन लगभग 02 वर्ष बीत जाने के बाद भी दफ्तर पर कोई भी कार्रवाई होता प्रतीत नहीं हो रहा है। जबकि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार जांच 90 दिन में समाप्त होनी चाहिए।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में

निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(1) क्या उपरोक्त के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के मुख्य सतर्कता अधिकारी पावरग्रिड से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है

यदि रिपोर्ट प्राप्त हुई है, तो रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएं

उपरोक्त मामले में जांच में प्रगति लाने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ने मुख्य सतर्कता अधिकारी पावरग्रिड को कितनी बार निर्देशित किया है।

केंद्रिय सतर्कता आयोग
Date: 21/5/16
File No: 39546/2016
Page No: 1/1
RTI No: 13914
Date: 21/5/16
File No: 39546/2016
Page No: 1/1
RTI No: 13914

(4) मुख्य स्तरीय अधिकारी, पावरागुड जांच का समय - सामा का कितना आगे बढ़ा सकती हैं।

(5) यदि जांच में अत्यधिक विलंब होता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है।

(6) यदि किसी भी मुख्य स्तरीय अधिकारी द्वारा जांच में अत्यधिक विलंब होता है, तो केन्द्रीय स्तरीय आयोग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है।

में भारत का नागरिक है। तथा I.P.O. -
1020 का संलग्न कर भेज रहा है।

पताचार कापरा

कंचन कुमार

ग्राम - अशोकनगर

पी० - नीलखी

भावा - मुदलीगंज

जिला - पूर्णिया

पिन नं० - 852122

(विद्यार्थी)

विश्राज भाजन

कंचन कुमार

29-05-2018

FOR THE DIRECTOR
IN CHARGE
OF THE
INVESTIGATION
OFFICE
AT
PATNA